भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1544
दिनांक 20 दिसंबर, 2022 को उत्तर देने के लिए

रोगाणुरोधी उपयोग के लिए उपचार संबंधी दिशानिर्देश

1544. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने "सामान्य सिंड्रोमों में रोगाणुरोधी उपयोग के लिए उपचार संबंधी दिशानिर्देश" (ट्रीटमेंट गाइडलाइन्स फॉर एंटीमाइक्रोबिअल यूज् इन कॉमन सिंड्रोम्स) जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कुछ चिकित्सक बड़ी संख्या में अवांछित दवाओं का परामर्श देते हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चिकित्सा व्यवसाय की इस प्रकार की अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने और विभिन्न संक्रामक बीमारियों के उपचार में इन दवाओं की निरंतरता स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने 2019 में " सामान्य सिंड्रोमों में रोगाणुरोधी उपयोग के लिए उपचार संबंधी दिशानिर्देश" प्रकाशित किया। ये दिशानिर्देश 12 सिंड्रोमों के लिए रोगाणुरोधी के प्रेसक्रिप्शन पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे रोगाणुरोधी की अवधि, ड्रग इंटेरेक्सन, खुराक और प्रशासन के बारे में जानकारी भी प्रदान करते हैं।

जैसा कि सूचित किया गया है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 की धारा 1.5 में निम्नानुसार कहा गया है: -

1.5 प्रत्येक चिकित्सक को सामान्य नामों वाली औषधियों को स्पष्ट रूप से और अधिमानतः बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए और वह यह सुनिश्चित करेगा कि दवाओं का तर्कसंगत नुस्खा और उपयोग हो।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के खंड 8.2 के अनुसार जो निम्नानुसार है:-

8.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि पेशेवर कदाचार के संबंध में कोई भी शिकायत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त आयुर्विज्ञान परिषद के समक्ष लाई जा सकती है। पेशेवर कदाचार की कोई शिकायत प्राप्त होने पर, उपयुक्त आयुर्विज्ञान परिषद एक जांच करेगी और पंजीकृत चिकित्सक को व्यक्तिगत रूप से या वकील द्वारा सुनवाई का अवसर देगी। यदि चिकित्सक को पेशेवर कदाचार करने का दोषी पाया जाता है, तो उपयुक्त आयुर्विज्ञान परिषद ऐसी सजा दे सकती है जो आवश्यक समझी जाती है या अपराधी पंजीकृत चिकित्सक के नाम के रजिस्टर से पूरी तरह से या निर्दिष्ट अवधि के लिए हटाने का निर्देश दे सकती है। रजिस्टर से हटाने का स्थानीय प्रेस के साथ-साथ विभिन्न आयुर्विज्ञान संघों/समितियों/निकायों के प्रकाशनों में व्यापक रूप से प्रचार किया जाएगा।
